



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-26092026-276529
CG-AP-E-26092026-276529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4897]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948

No. 4897]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण तट रेलवे)

(सड़क सुरक्षा परियोजना)

अधिसूचना

विशाखापत्तनम, 15 सितम्बर, 2026

(रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत सूचना)

का.आ. 5088(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989(24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में। "विशाखापत्तनम डिविजन (पहले खुर्दा रोड डिविजन) की हावड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर जाडुपुडी (JPI) – सोम्पेटा (SPT) स्टेशनों के बीच किमी 640/19-21 पर स्थित मैन-युक्त एल.सी संख्या 340 को बंद करके उसके स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण।" इसके द्वारा एसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा(1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) राजस्व मंडलीय अधिकारी (आरडीओ)/पलासा को “विशाखापत्तनम डिविजन (पहले खुर्दा रोड डिविजन) की हावड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर जादुपुडी (JPI) – सोम्पेटा (SPT) स्टेशनों के बीच किमी 640/19-21 पर स्थित मैन-युक्त एल.सी संख्या 340 को बंद करके उसके स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण।” के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20D की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में “विशाखापत्तनम डिविजन (पहले खुर्दा रोड डिविजन) की हावड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर जादुपुडी (JPI) – सोम्पेटा (SPT) स्टेशनों के बीच किमी 640/19-21 पर स्थित मैन-युक्त एल.सी संख्या 340 को बंद करके उसके स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण।” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक-1) यहां संलग्न है।

अनुलग्नक-1

जिले और राज्य का नाम: श्रीकाकुलम और आंध्र प्रदेश

क्रम संख्या	गाँव का नाम	एलपीएम	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	अर्जित क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूमि का वर्गीकरण	भूमि का प्रकार
1	जादुपुडी	3953	0.05	0.046	पोरम्बोके (पी)	सरकारी भूमि
2	जादुपुडी	4680	0.41	0.011	सूखा	पट्टा भूमि
3	जादुपुडी	4216	1.36	1.099	गीला	पट्टा भूमि
4	जादुपुडी	4245	0.19	0.06	गीला	पट्टा भूमि
5	जादुपुडी	4275	0.31	0.01	गीला	पट्टा भूमि
6	जादुपुडी	4305	1.43	0.588	गीला	पट्टा भूमि
7	जादुपुडी	4740	0.13	0.011	गीला	पट्टा भूमि
8	जादुपुडी	4741	0.14	0.024	गीला	पट्टा भूमि
9	जादुपुडी	4327	0.98	0.598	गीला	पट्टा भूमि
10	जादुपुडी	4328	0.19	0.061	गीला	पट्टा भूमि
11	जादुपुडी	4333	0.3	0.061	गीला	पट्टा भूमि
12	जादुपुडी	4342	0.1	0.098	गीला	पट्टा भूमि
13	जादुपुडी	4345	0.13	0.004	गीला	पट्टा भूमि

क्रम संख्या	गाँव का नाम	एलपीएम	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	अर्जित क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूमि का वर्गीकरण	भूमि का प्रकार
14	जादुपुडी	4350	0.27	0.093	गीला	पट्टा भूमि
15	जादुपुडी	4351	0.22	0.146	गीला	पट्टा भूमि
16	जादुपुडी	4361	0.11	0.004	गीला	पट्टा भूमि
17	जादुपुडी	4363	0.12	0.016	गीला	पट्टा भूमि
18	जादुपुडी	4365	0.14	0.036	गीला	पट्टा भूमि
19	जादुपुडी	4369	0.23	0.037	गीला	पट्टा भूमि
20	जादुपुडी	4371	0.11	0.099	गीला	पट्टा भूमि
21	जादुपुडी	4377	0.05	0.046	गीला	पट्टा भूमि
22	जादुपुडी	4381	0.06	0.064	गीला	पट्टा भूमि
23	जादुपुडी	4383	0.15	0.151	गीला	पट्टा भूमि
24	जादुपुडी	4384	0.18	0.121	गीला	पट्टा भूमि
25	जादुपुडी	4386	0.17	0.169	गीला	पट्टा भूमि
26	जादुपुडी	4387	0.13	0.002	गीला	पट्टा भूमि
27	जादुपुडी	4389	0.18	0.084	गीला	पट्टा भूमि
28	जादुपुडी	4390	0.23	0.076	गीला	पट्टा भूमि
29	जादुपुडी	4392	0.14	0.142	गीला	पट्टा भूमि
30	जादुपुडी	4395	0.33	0.057	गीला	पट्टा भूमि
31	जादुपुडी	4397	0.29	0.136	गीला	पट्टा भूमि
32	जादुपुडी	4405	0.12	0.119	गीला	पट्टा भूमि
33	जादुपुडी	4408	0.1	0.104	गीला	पट्टा भूमि
34	जादुपुडी	4409	0.14	0.028	गीला	पट्टा भूमि
35	जादुपुडी	4413	0.16	0.096	गीला	पट्टा भूमि
36	जादुपुडी	4414	2.61	0.394	पोरम्बोके (पी)	सरकारी भूमि
37	जादुपुडी	4420	0.17	0.004	गीला	पट्टा भूमि
38	जादुपुडी	4423	0.26	0.216	गीला	पट्टा भूमि
39	जादुपुडी	4430	0.19	0.177	गीला	पट्टा भूमि
40	जादुपुडी	4434	0.07	0.014	गीला	पट्टा भूमि
41	जादुपुडी	4435	2.02	0.654	गीला	पट्टा भूमि
42	जादुपुडी	4436	0.09	0.074	गीला	पट्टा भूमि
43	जादुपुडी	4738	1.05	0.224	गीला	पट्टा भूमि
44	जादुपुडी	4444	0.3	0.251	गीला	पट्टा भूमि
45	जादुपुडी	4460	0.11	0.003	गीला	पट्टा भूमि
46	जादुपुडी	4461	0.88	0.127	पोरम्बोके (पी)	सरकारी भूमि
47	जादुपुडी	4464	2.01	0.052	पोरम्बोके (पी)	सरकारी भूमि

क्रम संख्या	गाँव का नाम	एलपीएम	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	अर्जित क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूमि का वर्गीकरण	भूमि का प्रकार
48	जादुपुडी	4471	4.54	1.311	सूखा	पट्टा भूमि
49	जादुपुडी	4481	1.25	0.603	पोरम्बोके (पी)	सरकारी भूमि
50	जादुपुडी	4488	1.11	0.127	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
51	जादुपुडी	4493	0.07	0.023	पोरम्बोके (पी)	सरकारी भूमि
52	केसरीपाडा	578-2	0.08	0.024	गीला	पट्टा भूमि
53	केसरीपाडा	578-3	0.69	0.03	गीला	पट्टा भूमि
			कुल	8.805		

अमूर्त

क्रम संख्या	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सरकारी ज़मीन (एकड़ में)	निजी ज़मीन (एकड़ में)			कुल अधिग्रहित भूमि (एकड़ में)
				गीला	सूखा	सिंचित शुष्क	
1	कांचिली	जादुपुडी	1.245	6.057	1.322	0.127	8.751
2	कांचिली	केसरीपाडा	0	0.054	0	0	0.054
		कुल	1.245	6.111	1.322	0.127	8.805

[फा. सं. SCoR/CAO/CON/RSP/VSKP/ML-340/ROB/20A]

चौ.विजयकुमार, उप मुख्य अभियंता/निर्माण/1

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Coast Railway)

(ROAD SAFETY PROJECTS)

NOTIFICATION

Visakhapatnam, the 15th September, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act-1989

S.O. 5088(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (herein after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of Special Railway Project, namely, “Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No 340 at Km 640/19-21 between Jadupudi (JPI) – Sompeta (SPT) Stations on the Howrah – Visakhapatnam Main Line of Visakhapatnam Division (Erstwhile Khurda Road Division)” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely Competent Authority for Land Acquisition (CALA) i.e. the Revenue Divisional officer (RDO), Palasa for Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No 340 at Km 640/19-21 between Jadupudi (JPI) – Sompeta (SPT) Stations on the Howrah – Visakhapatnam Main Line of Visakhapatnam Division (Erstwhile Khurda Road Division) in writing, and shall set out

grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further inquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project namely “Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned **LC No 340** at Km 640/19-21 between Jadupudi (JPI) – Sompeta (SPT) Stations on the Howrah – Visakhapatnam Main Line of Visakhapatnam Division (Erstwhile Khurda Road Division)” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh.

Annexure-I

Name of the District & State: Srikakulam & Andhra Pradesh

S.No	Name of the Village	LPM	Total Area in Acres	Acquired Area in Acres	Classification of Land	Type of Land
1	Jadupudi	3953	0.05	0.046	Poramboke(P)	Govt Land
2	Jadupudi	4680	0.41	0.011	Dry	Patta Land
3	Jadupudi	4216	1.36	1.099	Wet	Patta Land
4	Jadupudi	4245	0.19	0.06	Wet	Patta Land
5	Jadupudi	4275	0.31	0.01	Wet	Patta Land
6	Jadupudi	4305	1.43	0.588	Wet	Patta Land
7	Jadupudi	4740	0.13	0.011	Wet	Patta Land
8	Jadupudi	4741	0.14	0.024	Wet	Patta Land
9	Jadupudi	4327	0.98	0.598	Wet	Patta Land
10	Jadupudi	4328	0.19	0.061	Wet	Patta Land
11	Jadupudi	4333	0.3	0.061	Wet	Patta Land
12	Jadupudi	4342	0.1	0.098	Wet	Patta Land
13	Jadupudi	4345	0.13	0.004	Wet	Patta Land
14	Jadupudi	4350	0.27	0.093	Wet	Patta Land
15	Jadupudi	4351	0.22	0.146	Wet	Patta Land
16	Jadupudi	4361	0.11	0.004	Wet	Patta Land
17	Jadupudi	4363	0.12	0.016	Wet	Patta Land
18	Jadupudi	4365	0.14	0.036	Wet	Patta Land
19	Jadupudi	4369	0.23	0.037	Wet	Patta Land
20	Jadupudi	4371	0.11	0.099	Wet	Patta Land
21	Jadupudi	4377	0.05	0.046	Wet	Patta Land
22	Jadupudi	4381	0.06	0.064	Wet	Patta Land
23	Jadupudi	4383	0.15	0.151	Wet	Patta Land
24	Jadupudi	4384	0.18	0.121	Wet	Patta Land
25	Jadupudi	4386	0.17	0.169	Wet	Patta Land
26	Jadupudi	4387	0.13	0.002	Wet	Patta Land
27	Jadupudi	4389	0.18	0.084	Wet	Patta Land
28	Jadupudi	4390	0.23	0.076	Wet	Patta Land
29	Jadupudi	4392	0.14	0.142	Wet	Patta Land
30	Jadupudi	4395	0.33	0.057	Wet	Patta Land
31	Jadupudi	4397	0.29	0.136	Wet	Patta Land
32	Jadupudi	4405	0.12	0.119	Wet	Patta Land
33	Jadupudi	4408	0.1	0.104	Wet	Patta Land
34	Jadupudi	4409	0.14	0.028	Wet	Patta Land
35	Jadupudi	4413	0.16	0.096	Wet	Patta Land
36	Jadupudi	4414	2.61	0.394	Poramboke(P)	Govt Land
37	Jadupudi	4420	0.17	0.004	Wet	Patta Land
38	Jadupudi	4423	0.26	0.216	Wet	Patta Land
39	Jadupudi	4430	0.19	0.177	Wet	Patta Land
40	Jadupudi	4434	0.07	0.014	Wet	Patta Land
41	Jadupudi	4435	2.02	0.654	Wet	Patta Land
42	Jadupudi	4436	0.09	0.074	Wet	Patta Land

S.No	Name of the Village	LPM	Total Area in Acres	Acquired Area in Acres	Classification of Land	Type of Land
43	Jadupudi	4738	1.05	0.224	Wet	Patta Land
44	Jadupudi	4444	0.3	0.251	Wet	Patta Land
45	Jadupudi	4460	0.11	0.003	Wet	Patta Land
46	Jadupudi	4461	0.88	0.127	Poramboke(P)	Govt Land
47	Jadupudi	4464	2.01	0.052	Poramboke(P)	Govt Land
48	Jadupudi	4471	4.54	1.311	Dry	Patta Land
49	Jadupudi	4481	1.25	0.603	Poramboke(P)	Govt Land
50	Jadupudi	4488	1.11	0.127	Irrigated Dry	Patta Land
51	Jadupudi	4493	0.07	0.023	Poramboke(P)	Govt Land
52	Kesaripada	578-2	0.08	0.024	Wet	Patta Land
53	Kesaripada	578-3	0.69	0.03	Wet	Patta Land
			Total	8.805		

ABSTRACT

Sl.No	Name of the Mandal	Name of the Village	Govt land (in Ac)	Private Land (in Ac)			Total land acquired (in Ac)
				Wet	Dry	Irrigated Dry	
1	Kanchili	Jadupudi	1.245	6.057	1.322	0.127	8.751
2	Kanchili	Kesaripada	0	0.054	0	0	0.054
	Total		1.245	6.111	1.322	0.127	8.805

[F. No. SCoR/CAO/CON/RSP/VSKP/ML-340/ROB/20A]

CH. VIJAYAKUMAR, Dy. CE/C/I/VSKP